

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर



क्रमांक/राजस्व/प्रा0पत्र/31/2022/19.06.2024/5635

दिनांक:-19.06.2024

श्रीमान निबन्धक महोदय,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर।

विषय:-राजस्व वाद सं. 31/2022 अनवान् जाकिर हुसैन आदि बनाम
मोहम्मद अली वगैरह अन्तर्गत धारा 88,188,209 आर.टी.ए. निर्णय
दिनांक 10.02.2022 भिजवाने हेतु।


प्रसंग:-आपका पत्रांक/टीए/निग/2022/1424/गंगा/1016/22/
3462 दिनांक 05.04.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक द्वारा पत्रावली संख्या 31/2022 अनवान जाकिर हुसैन आदि बनाम मोहम्मद अली वगैरा अ0धा0 88,188,209 आर0टी0ए0 निर्णय दिनांक 11.03.2022 चाही गई थी। जबकि उक्त प्रासांगिक पत्र की पालना में सहवन से पत्रावली संख्या 32/2022 जाकिर हुसैन आदि बनाम मोहम्मद अली वगैरा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 निर्णय दिनांक 11.03.2022 भिजवा दी गई है। जबकि उक्त पत्रावली संख्या 32/2022 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रासांगिक पत्र टीए/निग/2022/1426/गंगानगर/06/08/2024 दिनांक 06.05.2024 तथा टीए/निग/2022/3316/गंगानगर/22/07/2024 दिनांक 01.04.2024 से चाही जा रही है। इसलिये उक्त पत्रावली संख्या 32/2022 अनवान जाकिर हुसैन बनाम मोहम्मद अली संबंधित पत्रावली में संलग्न की जानी है।

अतः प्रासांगिक पत्र की पालना में पत्रावली संख्या 31/2022 अनवान जाकिर हुसैन आदि बनाम मोहम्मद अली वगैरा अ0धा0 88,188,209 आर0टी0ए0 निर्णय दिनांक 11.03.2022 कुल पृष्ठ संख्या- (29) इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-एक पत्रावली


20/6/24

भवदीय


260
(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़